

प्ररूप 21 घ
{नियम 64 देखिए}

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के अलवर (08) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

डॉ. करण सिंह यादव, कृष्णा कॉलोनी, नारगौल रोड़, वार्ड नं. 1, बहरोड़ (अलवर) जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये हैं।

उस सदन में, चांदनाथ की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: अलवर

तारीख: 01.02.2018


हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग ऑफिसर
(राजन किशोर)
रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा तृतीय चुनाव-2018
अलवर (राज०)

FORM 21D

(See rule 64)

(For Use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election to the house of the People from the ALWAR (08) Parliamentary constituency in RAJASTHAN (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that----

Dr. Karan Singh Yadav, Krishana Colony, Narnaul Road, Ward-1, Behror (Alwar) Sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the Death of CHANDNATH having been declared vacant.

Place : ALWAR

Date: 01-02-2018


Signature.....
Returning Officer
(Rajan Vishal)
रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा उप चुनाव-2018
अलवर (राज०)